15/2/23 आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित।

~~पुन~~ प्रस्तागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा - नईटांड, थाना - गिरनी में स्थित खाता - 5, प्लाट - 15, 16, 17 रकबा - 2 एकड़ 48 डी. भूमि उनके परदादा लाखो राणा व लाटो राणा को केवाला सं० - 741, दिनांक - 25.01.1960 एवं केवाला सं० - 11408 दिनांक - 1.12.1958, तथा केवाला सं० - 11414 दिनांक - 02.12.1958 के माध्यम से हासिल है। इस क्रम के पश्चात दाखिल-

कार्य० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	खारिज होकर रसीद निर्गत होना आ रहा है। उक्त भूमि में से 33.86 डी. जमीन द्वितीय पक्ष पंजी-2 में छेड़-छाड़ करवाकर एवं विक्रेता अवैध जमाबंदी करवा कर फर्जी तरीके से वर्ष 2019 में केवाला करवा लिया तथा नामांतरण कर ऑन लाईन रसीद निर्गत करवा लिया गया है। प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर लगभग 70 वर्षों से दखलकार है। प्रथम पक्ष ने उक्त वर्णित भूमि की जमाबंदी रघुनाथ राम के नाम से चल रही है रद्द करने / स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाता की भूमि है। प्रश्नगत भूमि को वर्ष 1951 में कार० राम ने निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से गोदल राम को बिक्री कर दिया। वर्ष 1945 में गोदल राम ने उक्त भूमि को रघुनाथ राम को बिक्री कर दिया। दिनांक 3/12/1958 को 49½ डी	

की क्र० सं० र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	रघुनाथ राम ने जासो राणा बेच दिया। उक्त बिक्री के पश्चात् रघुनाथ राम के पास 33/15 डी. भूमि बची जिसका लगातार लगान रसीद भी निर्गत होता आ रहा था। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त शेष भूमि का क्रय किया गया जिसके आधार पर दाखिल-खारिज होकर लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है। उभय पक्ष के द्वारा एक ही केवाला से प्राप्त भूमि का खरीद किया गया है। इस प्रकार पुश्तागत जमाबंदी वैध है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। उभय पक्षों के द्वारा अपने दावों के पक्ष में दस्तावेजों को भी दाखिल किया गया है, जिसके विवेचन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के द्वारा एक ही विक्रेता से भूमि को हासिल किया है जो उन्हें भी विक्रय पत्र के माध्यम से हासिल है जिसका विधिवत नामांतरण होकर रसीद निर्गत होता आ रहा है। नामांतरण के लगभग 20-22 वर्षों के	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	बाद इस विवाद को उठाया है जो कानूनी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। साथ ही राजस्व न्यायालय को जमाबंदी रद्द करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उक्त विवेचन के आलोक में प्रथम पक्ष के अनुरोध को अस्वीकृत करते हुये वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 15/2/23 LRDC.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.04.11 16:49:02 +05:30
Location: 192.168.43.238